16.40 hrs.

Title: Resolution regarding proper utilisation of funds for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes –moved by Dr. V. Saroja on the 15th December, 2000. (Withdrawn)

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up further discussion on the resolution moved by Dr. V. Saroja on 15th December, 2000.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to resume my speech.

Sir, the Puna pact was signed by Mahatma Gandhi and Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar in September, 1932. Reservation is not a charity. It is a constitutional right of the under-privileged, the depressed, the downtrodden, extended to them in lieu of creation of separate electorate for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

As a part of the celebrations of the centenary of Dr. Ambedkar, we formed a Committee under the chairmanship of the then Prime Minister Shri V.P. Singh to critically evaluate the level of overall upliftment of the downtrodden that has taken place from 1950 to 1990. The Committee had an agenda. An action plan was prepared. The Government of India approved and adopted a 45-point action plan to ensure all-round development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That action plan of 45 points had six primary heads and they are as follows:

1. **Enactment of an Act of Parliament on reservation in Government service and education.**
2. **Clearance of backlog vacancies meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by resorting to special recruitment drives.**
3. **Formulation of schemes and funds for compulsory education of the children of all levels of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.**
4. **Allocation of funds of the national exchequer for overall development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes proportionate to their population.**
5. **Promotion of participation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all activities of trade, commerce, industries, banking and private sector.**
6. **Effective implementation of land reforms.**

Ten years after this action plan was approved, I would like to know from the Government as to what has happened to it.

Sir, the work of Government machinery of the NDA Government is allocated among 43 Ministries. However, there is no Ministry to cater to the needs of 140 million-strong Scheduled Caste population in the country. The Scheduled Caste population has been totally neglected by the Planning Commission also. There is a Ministry to look after the welfare of tribals whose number in the country is about 67.76 million. They form 8.8 per cent of Indian population. I have no objection to this. I welcome the decision to have a separate Ministry for Tribal Development.

But, Sir, the Government of India proposed to increase the reservation quota of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from 22.5 per cent to 24.8 per cent...(*Interruptions*)

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति जी, जिनकी डिबेट है, वह मंत्री नदारद हैं। यह डिबेट महत्वपूर्ण है। â€¦(व्यवधान) मैं भले ही सत्तादल से हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री को यहां इस डिबेट में रहना चाहिए। â€¦(व्यवधान) आप तो यहां पर हैं, ठीक है लेकिन उनको भी यहां होना चाहिए था। यह अच्छी बात नहीं है। मैडम सरोजा जी ने बहुत अच्छा विाय उठाया है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : उससे संबंधित मंत्री यहां बैठे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : कोई भी एक मंत्री ही उत्तर देंगे। â€¦(व्यवधान) उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।â€¦(व्यवधान)

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, Shri Ramanand Singh is totally correct in saying so. The concerned Minister is not present here....(*Interruptions*)â€¦You should direct the hon. Minister to be present in the House....(*Interruptions*)

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Sir, they do not take it seriously.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : यह बहुत बड़ा विभाग है। आप तो इसके एक पार्ट के मंत्री हैं।

â€¦(व्यवधान) मेनका गांधी जी का सही मायनों में इस विभाग से संबंध है वह यहां उपस्थित नहीं हैं। उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए था।â€¦(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : हाउस की कुछ गरिमा नहीं रह गई है। â€¦(व्यवधान) इस हाउस को दुनिया की कुछ परवाह नहीं है।â€¦(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गंभीर मामला है। â€¦(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह : सभापति जी, कई मंत्री तो 6-6 महीने तक हाउस को नहीं देखते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारी विदूी महिला सदस्य बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI J.S. BRAR : Mr. Minister, we respect you. But we want the other Ministers also to be here....(*Interruptions*)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, you kindly give direction to the hon. Ministers to be present...(*Interruptions*)â€¦ The Government is not taking the PMB seriously.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is present here. He is taking note of everything and he will reply.

...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इतना बड़ा विभाग है। â€¦(व्यवधान) यह उससे संबंधित मंत्री नहीं हैं। हम तो इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं।â€¦(व्यवधान)

श्री जुएल उराम : आपको कैबिनेट मंत्री रिप्लाई दें या स्टेट मिनिस्टर रिप्लाई दें, यह बराबर होता है।â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Saroja, please continue now.

SHRI J.S. BRAR: Mr. Chairman, Sir, on this important subject, the hon. Minister should be present here.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is present here.

...(*Interruptions*)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Is it proper, Sir? You please give direction for the Cabinet Ministers to be present here....(*Interruptions*)â€¦It is disrespect of the House.

MR. CHAIRMAN: But the concerned Minister is present here.

...(*Interruptions*)

DR. V. SAROJA : Mr. Chairman, Sir, I associate myself with the feelings of the hon. Members of this august House...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jag Mohan is also present here. Shri Arun Shourie is also present here.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : अरुण शौरी जी और जगमोहन जी यहां बैठे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उनको तो डिसइंवेस्टमेंट से ही फुर्सत नहीं है। आप उन्हें इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं?â€¦(व्यवधान)

DR. V. SAROJA : Sir, I associate myself with the feelings of the hon. Members. The hon. Prime Minister had given an assurance about the divergence of funds, and may I request through you, Mr. Chairman, that the hon. Prime Minister has to come to the House and answer for my questions. My hon. Leader Dr. Puratchi Thalaivi had sent a note for which the hon. Prime Minister is required to answer in this House. I want a concrete reply.

Sir, I represent nearly about one-third population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes population of India I am committed for those people. I am committed for their cause. So, I request the hon. Prime Minister to come to the House and reply to my questions.

Sir, as far as the Budget allocation is concerned, a few days back, on the 28th February, 2001, the hon. Finance Minister had presented the Union Budget.

For the year 2000-2001, they have increased the Budget allocation for the Scheduled Caste population of 140 million to Rs.790 crore from Rs.709 crore. For the Scheduled Tribe population of 68 million, they have increased the allocation from Rs.78 crore to Rs.96 crore. But there is no Budget allocation from the primitive tribes who constitute about 1.2 million. It is painful to note that the Budget allocation has not been done in proportion to the population and that all the schemes and welfare measures undertaken over all these years have not brought any improvement. There is no social, educational or overall improvement. This shows that the NDA Government is unresponsive towards this community.

I have with me the figures showing the Budget allocation when my leader Dr. J. Jayalalitha was the Chief Minister. I

have got the statistics for the past ten years from 1991, when Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu and the amount allocated for the community was spent for the welfare of the community. But after the DMK Government took over, there is a backlog. They have diverted the fund for the Samathuvapurams. I have a given a letter on this to the hon. Prime Minister asking him to look into this matter and conduct an inquiry. But so far there is no reply from the Government. I am yet to receive a reply. I have received only an acknowledgement that the hon. Prime Minister has received a letter from me. I want a reply for this in this august House. My leader had written a letter on 12.1.2001 but there has been no reply till now. So far, no inquiry commission has been set up.

In Tamil Nadu, I have written to the Collectors of Salem and Namakkal districts where my constituency falls. I have also written to the Chief Secretary and also to the Managing Director of THADCO. They have not responded to my letter on the budget allocation and the schemes that have been taken up. The information available with me is that the Government of India has written to the Government of Tamil Nadu two or three times but the Government of Tamil Nadu has not responded to those letters because they have diverted the funds for the Samathuvapuram project where the non-SC beneficiaries are utilising the funds. ...(*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. She is not yielding. ...(*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, the hon. Member is misleading the House.

DR. V. SAROJA : Sir, I am not misleading the House.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Dr. Saroja says.

*(Interruptions)**

DR. V. SAROJA : I am not yielding. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, this is not going on record. Please take your seat.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: This is not the proper way. Plese take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, not a single word of yours is going on record. Please sit down now.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Why are you disturbing the House?

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why are you wasting your time and also the time of the House? It is not going on record. She is not yielding and I am not permitting you. You may please take your seat.

* Not Recorded

*(Interruptions)**

DR. V. SAROJA : This is the letter that I have given on 22.12.2000 to the hon. Prime Minister with copies marked to the Deputy Chairman, Planning Commission, hon. Minister for Finance, hon. Minister for Social Justice and Empowerment, hon. Minister for Tribal Affairs. I would like to place a copy on the Table of the House for its perusal.

An amount of Rs.1774.21 lakh is not utilised. The Government of India has written to the Tamil Nadu Government saying:

> "The Tamil Nadu Government is not utilising the allocated funds; to expedite the matter, reminders have been sent to the Tamil Nadu Government on 25.08.2000 and on 25.09.2000."

But still, they have not responded to it. I would like to place it on the Table of the House.

Sir, I would like to say one more thing here. I am not standing here to politicise the issue; I am not here to gain any political mileage also. I am committed to serve the people. I demand that an inquiry commission be set up, as requested by my leader, Dr. Puratchi Thalaivi. She has also given in writing. She had given me this note. So far, they have not constituted any inquiry commission. I request the Government of India to set up an inquiry

commission immediately.

As far as tribal development is concerned, the hon. Minister for Tribal Affairs has written to all the hon. Members requesting them to come out with their suggestions and proposals in respect of their States and Parliamentary constituencies. Again I would like to point out one more thing. This is a letter dated 28th November 2000 in which the Tribal Development Ministry has allocated funds to different States. For example, in respect of Andhra Pradesh, the allotment was Rs.2.75 crore; for Gujarat it is Rs.10.8 crore; for Assam it is Rs.8.5

* Not Recorded

crore, and so on. Here, we find that the Government of Tamil Nadu has got only Rs.86 lakh. That shows the lack of commitment and lack of adequate response of the Government of Tamil Nadu towards tribal development.

The Planning Commission has introduced women's component plan as one of the major strategies, for the first time, during the Ninth Five Year Plan, to ensure women's rightful share of funds and benefits. In India, about 25.56 per cent of the population live below poverty line and they are SCs and STs. Eighty-one per cent of these people live in rural areas. That is, out of 25.56 per cent of the population, about 13-14 per cent were women. The year 2001 is the Year of Empowerment of Women; the Planning Commission has introduced women's component plan; 13 per cent of women SCs and STs are agricultural labourers of rural India; and, self-help group and micro-credit scheme for economic empowerment of women are there. The Government of India should have a national policy on women, with special focus on schemes for the overall development of SC/ST women of India, State-wise, sector-wise and gender-wise; it is a must for economic empowerment of women. For the overall empowerment of women SCs/STs, in the Ninth Plan, we have a three-pronged strategy, that is, the policies are framed under three heads − social empowerment, economic empowerment and social justice and political empowerment.

17.00 hrs.

Articles 14, 15, 17 and 340 provide for social safeguard. Articles 46, 275(1) and 335 conforms economic empowerment, political empowerment and administrative control of scheduled areas and Scheduled Tribes in any State. Articles 224 and 329 provide for reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of People and in the Legislative Assemblies in the States. Though there are constitutional safeguards, still we have not improved to the level that we should have improved. In addition to the constitutional safeguards, we have National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Finance Corporation which was formed under article 25 of the Companies Act, 1956, Special Component Plan for the Scheduled Caste, Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes from 1974, Special Central Assistance to SCP and TSP, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 1990, a separate Ministry for Tribal Development, the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, and State Scheduled Caste and Scheduled Tribe Finance Corporation. But all these things have not brought any substantial improvement in the overall living standards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

May I request the Government to review the programmes, and the schemes that have been earmarked for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Let us have a re-look and a second thought about these schemes. Let us start the implementation from the grass−root level. Instead of starting it from the above, let us start the implementation from the grass-root level so that at least from now onwards we will be able to achieve some results. I am a Member of this House for the second term and I have been a Member in the Standing Committee also. When sitting in the Committee, I feel sad about the regional imbalance that exist between North India and South India. If you critically evaluate, you will find that this system cannot be improved unless a Central Reservation Act is brought in. I recall that the Constitution of India was amended on 19.7.1994 after the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation in Seats, Educational Institutions, Appointments and Posts in Services under State Act, 1993 was included at the entry No. 257 (a) of the Ninth Schedule of the Constitution.

I would like to inform this House that my leader, Dr. *Puratchi Thalaivi* is the torch bearer of this Reservation Act. In no other State it has been done. Though Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Tripura and Bihar have brought in State legislation, it has not been implemented. That is one of the reasons why the regional imbalance still continues. I request the Government of India to introduce a Central Reservation Act in Parliament and get it passed so that regional imbalance is corrected at the earliest possible time....(*Interruptions*)

In Tamil Nadu, *Dr. Puratchi Thalaivi* has brought this Reservation Act providing 69 per cent reservation. It was done only by the then Chief Minister, *Dr. Puratchi Thalaivi*. No other Chief Minister in India has done it. The State of Tamil Nadu has that credit. But what has the present Government of Tamil Nadu done for the people?

They are anti-*dalits*. They have brought in GO No.44, which says that they will implement the recommendations

contained in the Mandal Commission. After some time, the Government of Tamil Nadu through an inter-departmental order struck down the Constitutional rights given by Dr. Ambedkar. Through this order, all the educational and other Constitutional rights have been struck down in the State of Tamil Nadu. I, therefore, charge that they have no moral right to continue in the State. They are anti-*dalit* and they have no programme for the *dalits.*

I would also say that the NDA Government has no political will to exercise its power against those States which are not implementing these schemes meant for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Orissa have diverted funds earmarked for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Standing Committee has come out with a statement that in all these three States an Interim Commission must be set up. The Government of India should have initiated some action in this regard. I request the Government of India to act immediately so that injustice is not done to the *dalits.* Action must be taken against all these erring States.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, I may be allowed to speak....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am not allowing you.

...(*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR : Sir, the hon. Member is misleading the House. The State Government of Tamil Nadu has allocated funds earmarked for the rural development to DRDA....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have called Shri Sahu. He is not yielding. Please take your seat.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Before I speak on the points made by Dr. Saroja, may I say that the regional considerations should not constrict the larger perspective of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country and with that end in view it would be improper...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you wish to speak, you can send your name.

SHRI ANADI SAHU : Sir, it would be improper to consider a particular region's difficulties and small trivial matters here at this juncture. I think that would solve the problem of my friends who are protesting now.

Before I start, I would like to start with a phrase,'A mighty fire is lit with the weakest straw' and with this weakest straw the development of the Scheduled Tribes has been taken up by the NDA Government in the last two years. Shri Vajpayee, the Prime Minister of India has created a Tribal Affairs Ministry and he has entrusted its task to a tribal leader of my State. I am proud that a tribal leader of my State has become the Minister in charge of the new Ministry. The matter which requires immediate attention about the tribals has been taken care of now.

So far as Dr. Saroja's contentions are concerned, I will come to them one-by-one and I would also applaud the attempt made by her to focus the difficulties faced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When we think of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the first thing that comes to my mind is about the land holding. Since agriculture is most important for India, land holding is very important for an Indian.

She has referred to the utilisation of funds. When we come to utilisation of funds, we must think of the base and the base is the land. All the Members are aware that the Scheduled Tribes are the most harassed. They do not have land. As such shifting cultivation, jhum cultivation, and migration from place to place in search of cultivable land on the difficult terrain makes it very difficult for tribal people to have the land holding of their own.

The settlements that have taken place from time to time have not been very kind to the Scheduled Tribes and have not been very kind to the migratory Scheduled Castes. As far as land holdings are concerned, may I, with your permission, indicate as to what type of land holdings the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have in India?

So far as land is concerned, it has been seen that 8.06 per cent of the Scheduled Castes, out of that, about 13 per cent to 14 per cent in my State have no land. More than 17 per cent Scheduled Tribes, have no land, not even half an acre of land. Half an acre of land is held by 5.28 per cent of Scheduled Castes, and 4.22 per cent of the Scheduled Tribes. This would indicate the type of difficulties that a Scheduled Castes and Scheduled Tribe person faces whenever funding is thought of. We have been thinking of giving loan to the people and we are asking for collateral. When some loan is given that requires collateral. The land is of mere pittance and the SC and ST cannot avail the loan scheme. With mere pittance nobody can be able to survive in this competitive and harsh world. That is why, we have been saying that although we have created a lot of facilities for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, these do not percolate down to the persons for whom it is required to be done.

I would invite the attention to two important features which have been taken up within the last two years by the NDA

Government. First scheme is the *Jawahar Gram Samridhi Yojana* wherein it has been indicated that 22.5 per cent of the JGSY will be allocated and earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the second scheme, which is a very important one, is the *Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana* where 50 per cent of the money is to be allocated to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

As I have said earlier, funding is being done by the Government of India in a very beautiful manner. When employability is there but the employment is not there, it is necessary that some employment has to be given. It has been found by the Planning Commission that those who have some land, about a hectare of land, *i.e.,* two and a half acres of land, at the maximum a person could get employment for about 200 days and those who are marginal farmers, they do not have employment beyond 100 days. So, creating employment for the employable people is the Herculean task and the Scheduled Tribes are the most affected people. They are staying in difficult terrain. For them, to be employable, is a difficult matter and that is why a new Ministry has been created to see that employment facilities are given to them. Last year, the Budget allocation was Rs.800 crore. It was a new Ministry. Now, it is Rs.950 crore. With a corpus of about Rs.500 crore, loan assistance is to be given to the tribals and the implementation has already started.

As I said, employability is a great criteria. That is why, the *Swarnjayanti Swarozgar Yojana* is required to be implemented in a proper manner to see that the tribals and the Scheduled Castes get employment in a better manner. Whenever we think of employment facilities, we have to think of literacy for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Over the years it is seen that literacy has started increasing among these people. I have got the statistics collected during the census of 1961 and 1991. At that time the general literacy in the country was 24 per cent whereas among the Scheduled Castes it was 10.3 per cent and among the Scheduled Tribes it was 8.3 per cent. Now the general literacy is 52.2 per cent and the literacy among the Scheduled Castes is 37.4 per cent whereas it is 29.6 per cent among the Scheduled Tribes.

But female literacy has suffered a lot in so far as Scheduled Tribes are concerned. In my State, Orissa, 95 per cent of the girls among Scheduled Tribes are drop-outs at the fifth standard level. In order to get over this difficulty, the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and the Minister of Tribal Welfare have sanctioned Rs.16 crore last year for setting up of residential tribal schools for girls. This year also sufficient funds have been given for ITDA projects. Half of my constituency has been covered under ITDA and Rs.64 lakh has been given this year so that different works could be taken up, communications could be set up, high schools could be set up and *Sevashram* could also be set up to see that female literacy goes up among the tribals.

The most difficult part of a tribal woman is procuring drinking water. They live in places where drinking water is not available especially during acute summer when a lady or a child has to come down from the peak of a mountain to take a pitcher of water. Because sometimes even a pitcher of water is not available to them, they have to take date palm juice or Salap juice and that creates an inebriated condition for them. In order to provide drinking water to them in far-flung areas where people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are living, it is necessary that the Accelerated Rural Water Supply Scheme which has been launched by the Government of India in a very big way this year should give adequate funds to these areas of the country. I am not asking for special attention for a particular area. I am not regionalising the problem as has been done by my predecessor while she was speaking on the subject. We must have a larger perspective in dealing with this issue and to see what is required by the people who have been marginalised, who have not got their due.

So far as funding is concerned, it goes to the States. When funds go to the States, they have to think in a proper manner so as to see that these people who have been marginalised over centuries do not suffer further. When we are thinking about all these aspects, we must also think of different funding patterns. The most important point is that the minor forest produce should get the attention of the Central Government and a uniform processing method should be adopted so that the forest produce is not subjected to any revenue tax or any sort of restriction.

Since there is time constraint, I am not going further. With these words, I would like to thank you Sir, for giving me this opportunity.

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, डॉ. वी.सरोजा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं जिसमें मांग की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो धन का आबंटन होता है, उसका सही उपयोग नहीं होता।

यह बात सही है और देखने में आया है कि कमजोर वर्गों के लिए जो धन आवंटित होता है, वह पूरा पैसा खर्च नहीं किया जाता। सवाल यह है कि उनके लिए जो धन आवंटित होता है, वह सही तरह से खर्च हो इस देश में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रान्तों से जिन जातियों का जीवन स्तर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसा है, तमाम और जातियां भी बराबर मांग करती रही हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए। कुल मिला कर पूरे देश का एक-चौथाई हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। जैसे डा. सरोजा ने कुछ आंकड़े प्रसतुत किए,

इन वर्गों के लिए जो धन का आवंटन होता है, योजना में धन का जो प्रावधान किया जाता है. वह नहीं के बराबर है। यह कनसौलीडेटेड फंड है जो पिछले र्वा 709 करोड़ रुपये था और इस बार 790 करोड़ रुपये है। दसवीं कक्षा तक के सौलह लाख विद्यार्थी जो अनूसुचित जाति से संबंधित हैं, उनकी शिक्षा पर 155 करोड़ रुपये व्यय होंगें, योजना बजट में 408 करोड़ रुपये, और जिस तरह यह प्रस्ताव है, उस हिसाब से देखने में आया है कि 2000-2001 में 181.33 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति पर व्यय होना था, लेकिन मात्र 157 करोड़ रुपये व्यय हुए। यह बहुत गंभीर मामला है और गंभीर इस दृटि से है कि जब इस सदन में और सदन के बाहर चर्चा होती है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बन जाता है कि अनुसूचित जाति की समस्या मात्र आरक्षण तक सिमट कर रह गई है जबकि सही मायने में हकीकत यह है कि अगर कमजोर वर्गों की माली हालत ठीक नहीं होगी, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। आज उसी विाय पर जाने की आवश्यकता है।

जहां तक आरक्षण का सवाल है, श्री अरुण शोरी चले गए, कल ही बालको पर यहां चर्च् हुई थी। जिस तरह श्री संतोा गंगवार सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेच रहे हैं, उससे आरक्षण तो और कम होगा। आप जानते हैं कि सरकारी उपक्रमों में 22 लाख लोग काम करते थे जो संख्या घट कर अब 18 लाख रह गई है। आगे आने वाले समय में यह संख्या और कम होगी। इस सबके बावजूद भी विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने प्रदेशों में आरक्षण के सवाल पर कानून बनाए हैं। लेकिन भारत सरकार का आरक्षण के सवाल पर कोई एक्ट नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस संसद को एक्ट बनाना चाहिए और उसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इस देश में जो आरक्षण है और जो नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के चलते पूरा काम जो निजी क्षेत्र में जाने वाला है, उससे हमारे देश में रोजगार और कम होंगे। सबसे महत् वपूर्ण बात यह है कि 1990 में डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह का सरकार ने आयोजन किया। अन्य महापुरुों चाहे महात्मा गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, मैं जानता हूं कि एक र्वा तक उनके जन्म शताब्दी समारोह के बड़े कार्यक्रम हुए। डा. अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह लगातार तीन र्वाों तक हुआ।

जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे, वे उसके अध्यक्ष रहे, रामविलास जी बाद में उपाध्यक्ष हो गये थे। जब चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री बने तो मैं उनके साथ कल्याण मंत्री थी, मैं उपाध्यक्ष हुआ। फिर सीताराम केसरी जी और नरसिम्हाराव जी के जमाने तक वह महत्वपूर्ण अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति रही। सभी चीफ मिनिस्टर और सभी प्रोमिनेण्ट लोग उसमें थे। उस समारोह समिति ने छः उपसमितियां बनाई थीं, एक समिति आर्थिक विकास के लिए, एक शिक्षा के लिए, एक भूमि सुधार के लिए, दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए और आरक्षण से सम्बन्धित समिति, योजनाएं और कार्यक्रम। बहुत परिश्रम करने के बाद जो उस समिति के संयोजक थे, उन्होंने अपनी संस्तुति की। पूरा काम करने के बाद एक 45 सूत्री कार्यक्रम बना, जो इस समय मेरे पास है। मुझे जो जानकारी है, केबिनेट ने भी इसको मंजूर किया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं से सम्बन्धित कोई विाय ऐसा नहीं है, जो इस 45 सूत्री कार्यक्रम में शामिल न हो। लेकिन इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। किसी विभाग ने इस पर आज तक कोई अमल नहीं किया। काश "Dr. Ambedkar Centenary Celebrations: Status of Programmes Recommended for Planning." पर सरकार कोई कार्रवाई करती तो मैं समझता हूं कि इसके जरूर अच्छे परिणाम निकल सकते थे। संसद का जो अनुसूचित जाति और जनजाति का फोरम है, उस फोरम के 150 सांसदों ने लिखकर प्रधान मंत्री जी को दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अमुक-अमुक काम करिये, लेकिन कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी आपसे कहा था और फिर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति या दलितों का आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन उनके जो सवाल हैं, खास तौर से भूमि सुधार का, उस भूमि सुधार का काम कायदे से हुआ ही नहीं। इनको पट्टे भी मिल जाते हैं, लेकिन असरदार लोग उन पट्टों पर कब्जा ही नहीं होने देते। सरकार के पास जो फालतू जमीन है, उसका भी प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. कुल मिलाकर हालत यह है कि जिस तरह से इनकी माली हालत ठीक हो सकती है, उसका कोई व्यवस्थित तरीके से प्रयास हमारे देश में नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो कारोबार इनके हाथ में है, उसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये जो उत्पादन करते हैं, उसके लिए कोई मार्केट नहीं है। आगरा में जूता बनाने का काम होता है। अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में इस काम को करते हैं। एक तरह से यह कुटीर उद्योग है। मैं जानता हूं कि जब पूरा परिवार परिश्रम करता है और शाम को जूता तैयार करने के बाद, जिसने जूता बनाया है, वह एक डलिया सिर पर रखकर हींग की मंडी में ले जाता है. जूता बेचना उसका शर्तों पर नहीं होता, मीडिएटर वह जूता खरीदता है। उसका नकद भुगतान नहीं होता, एक पर्ची उसको दे दी जाती है। वह पर्ची लेकर बराबर उसके परिवार का ही आदमी बैठता है और कहा जाता है कि पर्ची आपको मिल गई, आज इसका भुगतान नहीं होगा। फलां तारीख को जब वह भुगतान लेने जाता है तो उसमें भी कट लगाया जाता है, तिकड़मबाजी की जाती है। जो जूता 300-400 रुपये में बनता है, जिसमें उसे 25-30 रुपये प्रोफिट होता है। जिसके पास वह जूता लेकर गया, उसने बढ़िया सा डिब्बा ओर ट्रेडमार्क लगाया तो मुंबई और कोलकता में वही जूता 4-5 हजार रुपये में बिकता है। इनके हाथ में जो कारोबार है, उसको आप संरक्षण नहीं देंगे, इनके लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं करेंगे, उसके लिए बाजार का इन्तजाम नहीं करेंगे तो कोई अच्छे परिणाम उसके नहीं निकलने वाले हैं।

मैं फिर एक बार डॉ. वी. सरोजा को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा संकल्प, सामयिक संकल्प वे इस सदन में लाईं। हम सब मिल बैठकर अगर यह प्रयास कर सकें कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो प्रमुख समस्याएं हैं,

उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनकी माली हालत ठीक करने में, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, उन तक सही रूप में पहुंचाई जाएं। उनकी भलाई के लिए जो पैसा यहां से दिया जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि वह पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता। इससे लगता है कि कहीं हमारी नीयत में खोट है।

इसके साथ ही मैं डा. वी. सरोजा जी द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनको इस प्रस्ताव को रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री जे.एस.बराड़ : सभापति महोदय, डा. वी. सरोजा जी ने जिस स्प्रिट के साथ यह प्रस्ताव रखा है, मैं उससे सहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस देश में मुद्दतों से हुआ है, उस बारे में सारा देश चिंतित रहा है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी के महान लीडर, जिन्होंने देश की जंगे आजादी में हिस्सा लिया, उन्होंने अपना सारा ध्यान समाज के इस कमजोर वर्ग की ओर लगाया। हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बेशक आज भी कमजोरियां हैं, लेकिन जिस दूरअंदेशी नजरिए से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस वर्ग का ध्यान रखा, वह बहुत सराहनीय है।

मैं आज इस सदन में 25 जनवरी, 2001 को देश के सर्वोच्च नागरिक, महामहिम राट्रपति श्री नारायणन की एक तकरीर का जिक्र करना चाहूंगा। वे एक गरीब और दलित परिवार में पैदा होकर देश के प्रथम व्यक्ति बने, राट्रपति बने। उन्होंने अपनी तकरीर में खुले दिल से विश्वास और निश्चय के साथ एक बात कही कि हम ि वकास के नाम पर और आगे बढ़ने के नाम पर जो गरीब बच्चा है, जिसको न दूध मिला है, न रोटी मिली है, जिसके परिवार में शाम को रोटी की चिंता होती है, अगर उसको दबाकर आगे निकलेंगे तो यह देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। मैडम सरोजा ने तहेदिल से इसका जिक्र किया है कि किस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो यहां से सरकारी फंड जाता है, भेदभाव किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके साथ नौकरियों में अन्याय होता है और उनको परमोशन में जानबूझकर जलील किया जाता है। इन सब बातों का जिक्र इस प्रस्ताव के जरिए किया है।

मुझे एक बात का फख्र है। जब इस देश में यह रिवाज था कि उच्च जाति के लोग अन्य लोगों को कुओं से पानी पीने की इजाजत नहीं देते थे, घोड़े पर चढ़ने की मनाही थी, तो पंजाब में, जहां कि अनुसूचित जाति के लोगों की काफी तादाद है, वहां हमारे महान गुरूओं ने जिस प्रकार का रोल अदा किया, वह सारे देश के लिए एक आदर्श है। पहले कहा जाता था कि गरीब बैठकर रोटी नहीं खा सकता, हमारे द्वार पर नहीं आ सकता। उनके मान और मर्यादा को जिस प्रकार से इन दस गुरूओं ने स्थापित किया, यह सराहनीय बात है। यहां मंत्री महोदय उपस्थित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर वह विचारधारा जो उन गुरूओं ने कही--जिनकी वर्ण और कुलमाही, सरदारी न पई कडाणी, मुझे मान है कि अब इस सदन में भी पंजाबी भााा के ट्रांसलेशन का भी प्रबंध है। गुरुवाणी में जो यह कहा है, जिसका मतलब है कि जिनको कभी कोई सरदार मानने को तैयार नहीं था - इन्हीं को सरदार बनाऊं तभी गोविंद साहिब नाम कहाऊं - यह सिखों के दसवें गुरू, गुरू गोविंद सिंह साहिब जी ने कहा था और मानस की जात सब एक ही पहचान का नारा दिया। उस प्रकाश में आज आपको अपनी नीतियों को तय करने की जरूरत है।

मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि पंजाब में जो सरकार है, वह हमारी विरोधी पार्टी की सरकार है लेकिन माननीय मंत्री महोदय मेरी इस बात को ध्यान से सुने और मुझे अफसोस है कि सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी को देश के पशुओं के बारे में बहुत चिंता है लेकिन आम लोगों के बारे में कितनी चिंता है, इसके बारे में आज की उनकी गैर-हाजिरी से यह प्रकट होता है। पंजाब में आज जिसके पास पचास ट्यूब वैल कनैक्शन चलते हैं, उसकी बिजली माफ है जिसका एक लाख रुपये का बिल आता है और लाखों की तादाद में 26 प्रतिशत गरीबों ने मौके की सरकार के गलों में हार डाले दिलों के एक बल्व जहां किसी गरीब की कोठरी में जलता है, वहां पांच-पांच हजार रुपये का बिल उन गरीबों को आता है। यह बिल्कुल साफ भेदभाव हो रहा है, यह दूर होना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने बजट में तकरीर करते हुए कहा है कि 27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे वैसे ही जीती है। यह गिनती मेरे ख्याल से 40 प्रतिशत से ऊपर है लेकिन उनके आंकड़ों के अनुसार 28 प्रतिशत जो लोग पंजाब में हैं जिनका कोई यलो कार्ड नहीं है, जिनको कोई सहूलियतें नहीं दी गई हैं, और जिनकी कोई आस्था, मर्यादा कायम रखने के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं आपसे यह कहूंगा कि कम से कम पंजाब की सरकार को देश की हुकूमत की तरफ से लिखें कि उस 28 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का इन मुद्दों पर कम से कम वह ध्यान रखें क्योंकि जब बड़े सरदारों की हुकूमत होती है तो उसमें गरीब वर्ग के लोग दबते हैं और मरते हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि कारगिल के युद्ध में लाइट इंफैंट्री जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां गरीब से गरीब, कुचले हुए और दबे हुए सिख परिवारों ने दी हैं तथा जिन्होंने 17000 फुट की ऊंचाई से कुर्बानियां दी हैं। पंजाब के अनुसूचित जाति के वर्ग ने 1962, 1965 और 1971 में और कारगिल इन चारों युद्ध में इस देश की प्रभुसत्ता, सम्पन्नता और देश की आज़ादी को बरकरार रखा है। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि लाइट इंफैंट्री डिवीजन के बहादुर अनुसूचित जाति के जो गरीब हैं, जो देश को बचाने के लिए मरने के लि ही फौज में जाते हैं, वह संख्या भी फौज में घटाकर कम कर दी है।

जहां तक फंडिंग और सोशल एजुकेशनल एमपॉवरमेंट का ताल्लुक है, यह भी इनके एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक रखने वाली बात है। मशरिख के एक बहुत ही मशहूर शायर अलामा इकबाल हुए हैं जिन्होंने कहा

है :

' उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,

ताज व उमरा की दर-व-दीवार को हिला दो,

गुरबा व गुलामों के साज-ए-यकीं से,

गोशा ज़मी को शाही से लड़ा दो।

जिस खेत से मुयस्सर ना हो बेहतर रोटी,

उस खेत के हर गोशा-ए-गन्दम को जला दो।'

एक समय आएगा कि जिनका हम अपमान कर रहे हैं और जिनके बारे में श्री के.आर. नारायणन, हैड ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हम उनकी भावनाओं को दबा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा के अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आर.एस.एस. के जो आजकल पंजाब और देश के गांवों में सरकुलर जा रहे हैं, उनका अनुसूचित जाति से ताल्लुक है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि जो सरकुलर जा रहे हैं, उनमें यह है कि अम्बेडकारियों के ऊपर निगाह रखी जाये, अकलियतों के ऊपर निगाह रखी जाये और दलितों के ऊपर निगाह रखी जाये। मेरे माननीय मित्र श्री रमेश चेन्नितला साहब बैठे थे।

हमें गर्व है कि वह एक इमानदार व्यक्ति हैं। मैं उनकी किताब " वर्शिपिंग फाल्स गॉड्स" का जिक्र मैं इस समय नहीं करना चाहता, लेकन उस पार्टी की विचारधारा का सारांश है कि गरीबों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, वह इस बात से प्रकट होती है।â€¦(व्यवधान)

महोदय, आखिर में सरोजा जी की भावनाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जब संविधान की समीक्षा की बात होती है तो उसके पीछे मूल भावना अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिले हुए जो अधिकार थे, उनसे वंचित करने की जो साजिश थी उसे नाकाम करने में सारे देश के गरीब वर्ग और गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में जिस प्रकार दीवार बन कर संविधान समीक्षा के मूल पाठ को बदलने की जो भावना थी, उसके लिए मैं सरकार को और मंत्री जी को विनती करना चाहूंगा कि यह Playing with fire है। आप संविधान की समीक्षा के मुद्दे पर जो मर्जी करें लेकिन जिनके साथ मुद्दतों से जुल्म हो रहा है और प्राईवेटाइजेशन तथा डिसइनवेस्टमेंट के नाम पर जिस प्रकार हमारे माननीय भाई-बहनों की तरफ से भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉमेंट कम हुई हैं, अभी जैसे मेरे भाई सुमन जी ने कहा कि 22 लाख से कम होकर 18 लाख रह गई हैं। अगर यही हालत रही तो यह खिलवाड़ हम और गरीबों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ करेंगे, इसका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए।

मैं अंत में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देश में चुनाव होते हैं, इलैक्टोरल रिफार्म की बात होती है, परन्तु इसका ताल्लुक भी अनुसूचित जातियों के साथ है। I want to put it on record. मैं आपको फरीदकोट लोकसभा का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां से मुख्य मंत्री पंजाब आते हैं और उनका बेटा वहां मंत्री था। वहां के तीन लाख गरीब वर्ग के लोगों को धोखे से खरीदने का, उन्हें एक्सप्लायट करने का, उनके वोट न डलें, उन्हें ट्रकों में बैठा कर बाहर ले जाने का प्र ोग्राम अगर पंजाब की हुकूमत के एक सर्वोच्च मुख्य मंत्री जी करें तो मैं समझता हूं कि गरीब वर्ग को उसके वोट डालने से वंचित करने का जो सबसे बड़ा गुनाह है, इससे खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती कि पुलिस के जरिए गरीब आदमी को अपना वोट डालने से रोका जाए। इस युग में, 21वीं सदी के आरम्भ में अगर यह प्र ोग्राम बने कि कोई ताकतवर और सरमायेदार तथा जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे कहते हैं- " जिनके पास दाने, उनके कमले भी सयाने," अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बना तो I do not belong to weaker section, I am unfortunate, but I feel proud in stating these facts. जिन लोगों ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की है, देश के इतिहास और परम्परा में इतना बड़ा ऐतिहासिक रोल अदा किया है, जिनके साथ समय-समय पर धोखा होता रहा है वह दूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरोजा जी के इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं सरोजा जी के इस संकल्प के साथ अपने को सम्बद्ध करती हूं और साथ ही उनके द्वारा जिस उद्देश्य से इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया है, उस उद्देश्य के साथ अपनी सहमति जताते हुए अपेक्षा करती हूं, कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की कल्पना जो की गयी थी लेकिन आजादी को मिले अब 52 र्वा हो गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की कल्पना बहुत अधूरी है और पिछली सरकारों ने जो भी जवाबदेही इन पक्षों पर रखी, मुझे लगता है कि उन्होंने विकास को केवल मात्र धन के पैमाने से नापा है। यदि विकास को ज्ञान के पैमाने से नापा जाता तो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति जो आज बनी हुई है वह न होती।

मैं एनडीए की सरकार और माननीय वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का अलग से मंत्रालय बनाकर इस समुदाय के विकास की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कोई संकल्प किया है। मैं, एक पक्ष जो छूट गया है उसकी तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान आकर्िात करना चाहूंगी। आज

सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय किसी भी स्थिति में हमारे कल्याण की बात नहीं कर सकता क्योंकि इसका क्षेत्र और उद्देश्य बहुत विस्तृत है। अनुसूचित जनजाति का जिस तरह अलग से मंत्रालय बना और हमें यह उम्मीद हुई कि अब इस समुदाय का कल्याण होगा। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति का भी एक स्थाई मंत्रालय बने और उसमें ऐसे व्यक्ति न हों कि " जाके पैर न फटी बैवाई, वो क्या जाने पीर पराई" । लेकिन ऐसे लोगों को ऊपर बैठा दिया जाता है जो हमारे समुदाय के लोगों की चिंता नहीं करते। यदि नियति ने उन पर जिम्मेदारी डाली है तो उसका अहसास उनके दिल और दिमाग में भी होना चाहिए कि जिस पद और जगह पर वे बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी को वे पूरा करें। मेरे सहयोगी सदस्यों और भाई-बहनों ने इशारा किया है और मेरा इशारा भी आप समझ गये होंगे कि जब तक हमारे ये कर्णधार हमारी चिंता नहीं करेंगे और हमारी वेदनाओं को इस सदन में बैठकर भी नहीं सुनेंगे तो बाहर बैठा कौन व्यक्ति हमारी वेदना को सुनेगा? इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज जितने भी हमारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए रखी हुई हैं और उनके लिए निर्धारित बजट भी है। चाहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो, मानव संसाधन मंत्रालय के विभिन्न विभाग हों, महिला एवं बाल ि वकास, शिक्षा-स्वास्थ्य, राट्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला समाज कल्याण बोर्ड या विभिन्न प्रकार के हमारे आयोग हों, एससीएसटी या सफाई आयोग हो। इसके साथ मैं यह भी कहूंगी कि इन आयोगों और विभागों के माध्यम से जितनी भी प्रकार की योजनाएं एससीएसटी लोगों के कल्याण के लिए हैं उनकी समीक्षा भी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मात्र शिक्षा विभाग की एक स्कीम के बारे में मंत्री जी को बताना चाहती हूं। हम जो योजनाएं केन्द्र से प्रसारित करते हैं उनके कार्यान्वयन की सच्चाई को हम नहीं देखते हैं। यदि केन्द्र परवर्तित योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों या कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को जिनके दिल में इनके विकास का दर्द है उसको जगह देकर उनकी क्रियान्वति को परखा जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। एससीएसटी के बालकों और बालिकाओं के लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको मैंने देखा है। मैंने गांव के स्तर पर काम किया है।

मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेकर शिक्षा के विभिन्न पदों पर काम किया। महिला एवं बाल विकास के विभिन्न पदों पर काम किया। उस समय पाया कि वही बात है। उन के मन में इनके प्रति पीड़ा नहीं है। वे मात्र धन को पूरी तरह से उपयोग में लेने के लिए कोरे आंकड़ों का जाल सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करते आए हैं। वे आंकड़ों के जाल कभी भी इनकी उन्नति में सहायक नहीं हो सकते। पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी और सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय की प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको यह इशारा दिया कि अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के नाम पर सरकार को एक विद्यालय की स्थापना पर 25 बालक-बालिकाओं के लिए तीन लाख रुपए के लगभग खर्चा करना पड़ता है। यह एक हंसने वाली बात है और एक आश्चर्यजनक बात है लेकिन यह हमारे लिए एक पीड़ा की बात है। उनको केवल छः बरस की आयु में फीस के पैसे दिए जाते हैं। केवल एक बरस मात्र अध्ययन कराने के बाद और कक्षा दो में आने के बाद कह दिया जाता है कि अब आप सक्षम हो गए जबकि इन आवासीय विद्यालयों में बी.पी.एल. फैमिली के बच्चे और अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो परिवार आते हैं, उनके बच्चे और बच्चियां अध्ययन करते हैं। उन्हें मात्र छः से सात बरस की आयु में एक बरस पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास में कह दिया जाता है कि अब आपके लिए कोई धन नहीं है क्योंकि इस स्कीम में इतना ही धन है और इतना ही प्रावधान है। आप इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण नियमों की जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, इनका पूरा लाभ इन समुदायों को नहीं मिलेगा और केन्द्र और राज्य सरकारों के माध्यम से इनके ऊपर जो धन व्यय हो रहा है वह नाली में बह जाएगा। जितनी भी अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण की योजनाएं हैं चाहे वह शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, ग्रामीण रोजगार की हों या स्वर्ण जयन्ती रोजगार की कोई योजना हो या किसी भी मंत्रालय के माध्यम से इनको कोई भी सुविधाएं दी गई हों, उन सभी सुविधाओं को एक जगह से नियंत्रित करते हुए इनके कार्यान्वन की ओर जरूर सतर्कता बरतनी पड़ेगी अन्यथा वोटों की राजनीति के नाम से अनुसूचित जाति और जन जाति का जो बार-बार नाम लिया जाता है, यदि उनका वही हाल रहा तो आगे उनका कल्याण होना सम्भव नहीं है। माननीय वाजपेयी जी ने जिस तरह इस बात को लिया है और ऐसी बात नहीं है कि हमने सामूहिक रुप से प्रयास न किया हो। देश के विभिन्न प्रान्तों में इनकी प्रगति की आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि ऐसी समीक्षा नहीं हुई तो अनुसूचित जाति और जन जाति का कल्याण नहीं होगा। उनके कल्याण के नाम पर जो एन.जी.ओज. की बीमारी चली है और जो संस्थाएं बनी हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि न वह इतने पढ़े-लिखे हैं, न चतुर हैं और न ही उनमें इतना ज्ञान है। यदि एक-दो खड़े होकर आगे बढ़े हैं, विकास के लिए हाथ बढ़ाया है तो उनके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं। वे जंगली वस्तुओं का संग्रह करके और धनोपार्जन करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। आप उत्तर भारत के कुछ राज्यों को देखें चाहे वह राजस्थान हो, उत्तरप्रदेश हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में ऐसे लोग कृाक या कृाि श्रम और मेसन वर्क से जुड़े हैं। इनमें हमारे भाई-बहन काम करते हैं। अशिक्षा की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। एक सांसद भाई ने कहा कि उनके वोट ठक्के में ठेके हो जाते हैं। जब से यह प्रथा चली है तब से उनका शोाण हो रहा है। पिछले पचास वाा में जिस पार्टी ने यह प्रथा डाली यह एक दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद है कि इनके बारे में जो भी मेरी भावनाएं हैं उनको इस संकल्प के साथ जोड़ेंगे।

सभापति महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद भाई आज बहुतायत संख्या में हैं ।

यदि उन सभी सांसदों को उन क्षेत्रों में इन कल्याणकारी योजनाओं से आबद्ध किया जाता है तो ये चौकसी बरतेंगे। निस्संदेह उस क्षेत्र में रहने वाले भाई-बहनों के प्रति संवेदनशील होकर उनके विकास पर इस धन को खर्च करना और उन तक सुविधायें पहुंचाने के लिये यह संकल्प अवश्य हो सकता है।

मैं अपनी भावनाओं के साथ एक बात और कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये केवल दो मंत्रालयों के माध्यम से धन नहीं जाता। आज हमारे जितने मंत्रालय हैं, चाहे कृाि हो, चाहे खनन हो या कोई और मंत्रालय हो, उन से जाता है। मेरी आज ही प्रेट्रोलियम मंत्री से बात हुई थी और उनसे कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास धन नहीं है। आपने उनको कोटा तो आबंटित कर दिया लेकिन पैसे वाले लोग, उच्च आय वर्ग के लोग और पढ़े लिखे लोग उनसे अंदर ही अंदर समझौता कर लेते हैं। इन लोगों से हस्ताक्षर सहित एफिडेविट ले लेते हैं ताकि ये गरीब बाद में क्लेम न करें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह स्थिति सारे हिन्दुस्तान में है। इन बातों को हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। यदि हमने उन लोगो के लिये दूर की नहीं सोची और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बजट आबंटित कर दिया तो केवल धन के अनुपात से हम उनके विकास को नहीं नाप सकते। वास्तव में जो उन लोगों का विकास होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे यहां जो सामाजिक एक्ट लागू होता है, उसके चलते महिलायें अपने बच्चों के साथ रहकर जिस तरह से गुजारा करती हैं, वे सामाजिक प्रताणनाओं का शिकार हो जाती हैं। यदि सामाजिक न्याय के लिये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय में चल रही स्कीमो से खुद को जोड़ना भी चाहे तो उसे इनका ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की जो दुर्दशा होती है, उसका मैं बखान नहीं कर सकती। मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम इस संकल्प के माध्यम से डा. सरोजा ने जिन बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकार्ति किया है, जितनी भी कल्याणकारी योजनायें हैं, उसका सारा धन इन पर खर्च होना चाहिये यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो इन योजनाओं की समीक्षा के लिये कोई न कोई माकूल व्यवस्था अवश्य करें।

सभापति महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि यदि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री मेरी बात सुन रही हैं और इस संकल्प की भावनाओं को सीधे-सीधे समझ रही हैं तो उनके मन की कठोरता कहीं कहीं जरूर पिघलती होगी और वे इन महिलाओं को न्याय देने के लिये सोचेंगी। जैसा कहा गया है "जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।" आशा है मेरी भावनाओं को संकल्प के साथ सम्बद्ध करते हुये हमें लाभ दिलायेंगे और विकास की राह की किरण दिखायेगे।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं डा. वी. सरोजा देवी द्वारा लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं और उन्हें मुबारकबद देता हूं। सही मायने में आज तक केन्द्र और राज्य सरकारो ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छला है। यह सही है कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो फंड्स जाते हैं, वे वहां फाइलों में दबकर रह जाते हैं। यह भी सही है कि जिस अनुपात में इन लोगों के लिये फंड्स जाने चाहिये, वे जा नहीं पाते।

सभापति महोदय : पहले सदन की सहमति हो गई थी कि सरकारी बिल पास होने के बाद गैर-सरकारी संकल्प लिया जायेगा। चूंकि यह व्यवस्था पहले हो गई थी, इसलिये हाउस चलता रहेगा। अब 6 बजे हैं, इसलिये उस बात का हवाला देते हुये सदन को बताना चाहूंगा कि यह हाउस 7.10 बजे तक चलेगा।

<u>18.00 hrs.</u>

SHRI M.O.H. FAROOK : Had we known this, we would not have allowed those Bills to be passed.

श्री सुकदेव पासवान : सभापति महोदय, हम कह रहे थे कि एस.सी., एस.टी. के लिए जो फंड जाता है उसमें उनके हितों की काफी अनदेखी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें पहली बात यह है कि वह समुचित नहीं है और दूसरे जो छात्रवृत्ति दो-तीन महीने में मिलनी चाहिए वह साल में एक बार ही मिलती है। जबकि महंगाई के दृटिकोा से छात्रवृत्ति की जो रकम नियत की गई है यानी प्रति माह इतनी छात्रवृत्ति दी जायेगी, प्र ाथम से लेकर सप्तम कक्षा तक और सप्तम से लेकर मैट्रिक कक्षा तक तथा मैट्रिक से लेकर एम.ए. स्तर तक, निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मिलती है, उसमें वे सही ढंग से पढ़ सकें।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो भी योजनाएं केन्द्र सरकार की या राज्य सरकार की हों, जहां तक मुझे जानकारी है एक भी जनप्र ातिनिधि चाहे वह सांसद हो या विधायक हो, किसी के पास उसका समुचित लेखा-जोखा नहीं रहता है। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सी योजना अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्टेट में चल रही हैं या केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक सांसद को बता दीजिए कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सी योजनाएं हैं और राज्य सरकारों के द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी .योजनाएं हैं, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन जातियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं।

सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं। गांवों में शिक्षा की दयनीय स्थिति है। अभी भी गांवों के स्कूलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 25 प्रतिशत बच्चे मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। 75 प्रतिशत बच्चों को गरीबी के कारण उनके मां-बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं इसके पूर्व भी लोक सभा में कह चुका हूं, मैं अमीरों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं गरीबों के बारे में बोल रहा हूं और एस.सी. एस.टी. के जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए सही मायने में प्रथम से लेकर बी.ए. तक की शिक्षा अनिवार्य की जाए। जब तक इनके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, तब तक मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की पंक्ति में अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चे नहीं आ सकते। यह मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप प्रदेश सरकारों को निर्देश दें कि वे ऐसा पैकेज प्रोग्राम बनायें, जिससे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के गरीब बच्चों को प्रथम से लेकर बी.ए. स्तर तक की शिक्षा आवासीय सुविधा के साथ मिले।

सभापति महोदय, प्रदेशों में जिला स्तर पर जो भी अफसर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए रहते हैं, आप देखें कि उनमें ज्यादातर पदाधिकारी उच्च वर्ग के होते हैं। मेरा ऐसा मानना है और सरकार से आग्रह है कि जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए इसी जाति का पदाधिकारी रहे। निश्चित रूप से हमें इसके लिए नियम बनाना चाहिए।

आज़ादी के 52 वर्ों से ज्यादा बीतने के बाद भी गांवों में अभी भी 'बासगीत' का एक पर्चा होता है। अभी भी लगभग 40 से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास 'बासगीत' नहीं है। कोई पीडब्लूडी की जमीन पर रह रहा है, कोई रेलवे की जमीन पर बसा हुआ है मगर किसी के पास 'बासगीत' का पर्चा नहीं है। जब इतने सालों में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करें कि कितने वर्ों बाद सिर ढकने के लिए गरीब को अपना घर मिलेगा? एक सर्वे राट्रीय स्तर पर कराया जाए कि कितने लोगों को 'बासगीत' का पर्चा नहीं मिला है।

सभापति महोदय, गांवों में जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को झूठमूठ के केसों में फंसाकर तबाह और बरबाद करते हैं और वर्ों के लिए उनको जेल भिजवा देते हैं। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको गलत केस में फंसाकर परेशान न किया जाए। हम लोग हमेशा यह चर्चा करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं वे सही मायने में गरीब हैं या नहीं। पर वास्तविकता यह है कि जो वास्तव में गरीब हैं, उनके पास गरीबी प्रमाण पत्र भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में तो 40 से 50 प्रतिशत गरीब लोगों का गरीबी रेखा सूची में नाम भी नहीं है। जो भी कर्मचारी और अधिकारी गरीबी रेखा की सूची की जनगणना के लिए जाते हैं तो सामन्ती और बड़े लोगों के यहां बैठकर सूची तैयार कर लेते हैं और आधे से ज्यादा गांवों में लोगों का नाम गरीबी रेखा सूची में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सभी प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश जारी हों कि गरीबी रेखा सूची में जिन गरीबों का नाम नहीं है, उनका पुनः सर्वेक्षण करके उनका नाम गरीबी रेखा सूची में सम्मिलित करें।

MR. CHAIRMAN : Now, please conclude because the Minister has to respond and the Mover of the Motion also has to reply.

श्री सुकदेव पासवान : सभापति महोदय, आज देश की आबादी में अनुसूचित जाति और जनजाति का 22 प्रतिशत है लेकिन आबादी के रेशियो में जिस ढंग से उसको विकास के अवसर मिलने चाहिए वह नहीं मिलते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज़ादी के 52 साल बीतने के बाद भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, वहां विकास के काम होने चाहिए।

मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि वोट के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कई बार वोट नहीं डालने दिया जाता है। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी लोगों को वोट डालने का अवसर मिले। एक मामला और है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग अभी तक नहीं भरा गया है चाहे वह रेल विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो। इसलिए जहां जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति की वैकेन्सियों का बैकलॉग है, उसको निश्चित रूप से शीघ्र पूरा किया जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं डा. सरोजा द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निधियों के उचित उपयोग संबंधी संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं। वास्तव में हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना अत्यन्त आवश्यक है और उनके लिए सरकार द्वारा जो निधियां निश्चित की गई हैं, उनका जो पूरा उपयोग होना चाहिए, जो नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन निधियों का पूरा उपयोग हो और पर्याप्त निधियां आवंटित की जाएं। वास्तव में यह उनके ऊपर सरकार या किसी

का एहसान नहीं है। पिछले सैंकड़ों वर्षों से हमारे समाज में जब समता की स्थिति नहीं रही, अशिक्षा, अंधविश्वास या किन्हीं अन्य कारणों से जाति व्यवस्था और ऊंच-नीच की भावना पनपी, उसके कारण कमजोर वर्गों के ऊपर उच्च वर्गों द्वारा जो अत्याचार किए गए, यह एक प्रकार से उनका प्रायश्चित या पश्चाताप है। मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, वह सर्वथा उचित है। यद्यपि पहले दस वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन वह धीरे-धीरे पचास वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमें चिन्तन करना पड़ेगा कि आजादी के 53 वर्षों के बाद और गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयन्ती मनाने के पश्चात् भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो समाज का अभिन्न वर्ग है, जिनके उत्थान के लिए इतनी योजनाएं बनीं, इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में मुट्ठीभर लोगों को छोड़ कर, जो व्यापक परिवर्तन आना चाहिए, वह क्यों नहीं आ पाया, इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में भी समीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी कल्याणकारी सरकार है। मैं जिस दल से संबंधित हूं और जिस दल के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राट्रीय अध्यक्ष भी उस वर्ग से हैं। यह पार्टी जो कहती है, वह करती है। अभी हमारे माननीय सदस्य आर.एस.एस. की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आर.एस.एस. ऊंच-नीच में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, समाज के सब लोगों को साथ लेकर सामाजिक समरसता, महत्व की भावना पैदा हो, हम एक समाज से आए हैं, एक भारत माता के बेटे हैं,

"सं गच्छध्व सं वदध्वं" का जो सिद्धान्त है या " समानो मंत्रः समिति समानी " और " सहना ववतु सहनौ भुनक्तु" साथ बैठ कर खाएं, साथ बैठ कर उठें, साथ बैठ कर समाज में आगे बढ़ें, इस भावना को आगे लेकर चलता है। समीक्षा आयोग के नाम पर जो कांग्रेसी मित्र भ्रान्ति की भावना फैला रहे हैं कि हम संविधान के मूल आधारभूत तथ्यों को बदलना चाहते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। बार-बार सरकार की तरफ से स्पट रूप से घोाणा की गई है कि भारत के संविधान में जो आरक्षण प्र ादान किया गया है, आधारभूत तथ्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। जिस पार्टी ने संविधान में इतने सारे संशोधन कर लिए लेकिन इतनी बार संशोधन करने के बाद भी उसमें परिवर्तन लाने का काम नहीं हुआ। इसलिए आज देश की जरूरत और परिस्थिति के अनुरूप हम आवश्यक संशोधन करने जा रहे हैं तो ऐसे समय में उनको यह चिन्ता सता रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और वे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मै समझता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की जो व्यवस्था की है, वह संविधान का अधिकार है। जैसा अभी हमारे माननी सदस्य ने कहा, जनजाति कल्याण एक अलग विभाग बना दिया गया और उसके मंत्री भी जनजाति से संबंधित के हैं जो और विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रावत जी, मूल रूप से केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का राज्यों द्वारा ठीक से उपयोग न करने का संकल्प है।

प्रो. रासा सिंह रावत : केन्द्र सरकार जो राशि दे रही है, उसमें एक प्रकार से बढ़ोत्तरी करें, उस राशि का समुचित रूप से उपयोग होना चाहिए, इसमें तनिक मात्र भी दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि हम सबका कर्तव्य है कि अपने-अपने राज्यों में जहां जिस प्रकार की सरकार है, हम सबका प्रयास होना चाहिए।

हम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें और इन निधियों का उनके कल्याण के लिए उपयोग करें।

मैं अन्तिम बात कहकर आज्ञा चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण का बहुत बड़ा दावा करते हैं, वे कई-कई महीनों से अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कालरशिप का वितरण नहीं कर रहे हैं, उस राशि को अन्य मदों में खर्च कर देते हैं। विद्यालयों के माध्यम से उन गरीब तबके के छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं। उनके छात्रावासों में जैसी स्थिति है, मैंने देखी है। आर्य समाज का पदाधिकारी होने के नाते मेरा अपना भी एक निराश्रित बालकों के लिए सदन चलता है, हमारे बालकों की स्थिति और एक सरकारी छात्रावास चलता है, वहां जाकर देखा जाये तो आकाश-पाताल का अन्तर नजर आता है। वहां के बालकों की ऐसी स्थिति है कि वहां छुट्टियां होते ही उनको घर भेजा जाता है और उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। हमारे बालकों में प्रत्येक जाति और अनुसूचित जाति के बच्चे भी हैं। उनमें बहुत स्वाभिमान और स्वावलम्बन की भावना आती है। यहां मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग विशे रूप से उनके हितैी बनते हैं कि हम ही उनके खैरख वाह हैं, उन लोगों पर उनकी राज्य सरकारें पूरा खर्चा नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सारा पैसा कल्याण के लिए यहां से जाता है। ये सारी निधियां जिन लोगों के लिए जाती हैं, उन्हीं के विकास के लिए खर्च होनी चाहिए और उनका डाइवर्सीफिकेशन किसी ढंग से नहीं होना चाहिए। धन्य वाद।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, the Resolution says:

> "This House expresses its grave concern over underutilisation of funds meant for economic, social and educational empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes peopleâ€¦"

Now, I am trying to view this Resolution in another perspective. We all know that Dr. Babasaheb Ambedkar brought in reservations only for ten years; it was never meant forever. In other words, this reservation in Legislatures, Parliament, and also special consideration for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not a matter of perpetuity. He contemplated that it was a temporary measure spread over ten years. However, we have amended the provision regarding reservation in State Assemblies and Parliament five times, that is, in 1960, 1970, 1980, 1990 and 2000. I do not know whether we will be continuing this process till the end of the Twenty-first Century, if things go on like this. If the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are socially uplifted, economically, strong, then, certainly, we need not extend the reservation for another ten years. But the present position is such that every now and then, the State Legislatures and Parliament or the Lok Sabha will be compelled to extend the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for another Century. Dr. Babasaheb Ambedkar never contemplated such a situation; it is due to our fault that we are at the starting point.

It is not a matter of tribal development. We have ample development programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. A number of programmes have been drafted, circulated, and discussed in the State Legislatures as well as in Parliament, but the question of their implementation is the most important thing.

As a matter of self-criticism, I ask the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Members of Parliament and the Members of the State Legislatures: "What is their role in these matters?" I simply want to put this question. They are sharing the powers. They have ten per cent reservation, sometimes, it may be more, not only in the State Legislatures but even in Parliament also.

Now, these Members belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe community are more or less

influenced by Party affiliations. Their candidatures are sponsored by political Parties. Their allegiance is towards that political Party and their aim is to implement the decisions of the Party that have sponsored their candidatures. So, they cannot bring about unity among themselves in the matter of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The first thing that is required is that after having entered the State Legislatures or the Parliament, the Members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community irrespective of their Party affiliations should be united in implementing these programmes. It is futile to think that others would do that for them. Sometimes, there might be some good people who would be willing to do it, but nobody would do the service for them. The first and the foremost duty of a Member of Parliament or a Member of State Legislature, belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe community, is to see that these down-trodden people are brought up the social ladder. I asked these Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community as to what was the issue that has to be reviewed in the State Legislatures and in the Parliament. How could these Members function for implementing these programmes?

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. The hon. Minister has to reply to the debate also.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : So, the question that is most important is, not the absence of development programmes; not the absence of any project, of political will. Lack of political will is the major issue. Political will appears only when there are General Elections around. People proclaim that they stand for the upliftment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The political will disappears soon after the elections are over. Even the elected representatives from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community also forget about it. There is no political will so far. So, the most important thing is that we would have to think about it. Parliamentary democracy is very important. People should take a united approach to all these problems. With these few words, I support the Resolution.

18.23hrs.

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I would not take much time. I heard a lot of points in support of this Motion. I would like to mention one or two points here. After having heard a well-meaning debate on this, I do not have much to say.

Sir, I had come across a few complaints from the service personnel of the Central services. Many a time when the officers, belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Community, become eligible for promotion and job, reservation in respect of them is not being given properly.

Sir, I would like to request the hon. Minister to depute some officers who would look into this problem not only in the Ministry but would also co-ordinate with the officials of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension so that this problem being faced by the candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities could be addressed and such officers get their promotions on time. Since this aspect has been brought to my notice I am bringing this matter to the notice of the hon. Minister. I am sure the hon. Minister would positively convey this information to the various Departments so that this problem is addressed appropriately.

Sir, with these words, I conclude my speech.

जनजातीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डा. वी. सरोजा द्वारा रखे प्रस्ताव पर बहुत ही महत्वपूर्ण एवम् रचनात्मक झाव रखे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी सदस्यों का उत्तर दूं।

यह बात कही गई है कि फंड्स का अंडर-यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसका ब्यौरा दे रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। आंकड़ों के तौर पर मैं सोशल जस्टिस एमपॉवरमेंट जो हमारे एससी और बाकी के, जो डील करते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 86 प्रतिशत तक फंड्स का यूटिलाइजेशन हर स्कीम में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स का प्रत्येक स्कीम में 75 प्रतिशत तक फंड्स का यूटिलाइजेशन हुआ है। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स का 810 करोड़ रुपये का फंड अलॉटमेंट था। उसमें से 590 करोड़ रुपये का फंड हम लोग डिसबर्स कर चुके हैं। बाकी प्रोसैस में है। हमें उम्मीद है कि इस साल का अलॉटमेंट का फंड्स 90 प्र ातिशत तक यूटिलाइज हो जाएगा। सोशल जस्टिस और एमपॉवरमेंट का भी 95-96 प्रतिशत तक फंड्स यूटिलाइजेशन होगा।

यहां यह चर्चा भी उठाई गई कि श्रीमती मेनका गांधी जी की यहां रिप्लाई देने में रुचि नहीं हैं, इसलिए वह नहीं आई हैं। यह बात सच नहीं है। पिछले सत्र में शुक्रवार को उत्तर देने के लिए मैं भी यहां उपस्थित था और वह भी उपस्थित थीं और मैडम सरोजा जी ने चर्चा प्रारम्भ की लेकिन विशे‍ा असुविधा के कारण आज वह दिल्ली में ही नहीं हैं। यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि वह दिल्ली में हैं और यहां नहीं आ रही हैं और इसीलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए। मैं पूरा-पूरा उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

यहां दो-तीन आंकड़ों के बारे में बात हुई है जिनकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। लिटरेसी रेट देखने के बाद यह प्रकट होगा कि ट्राईबल और एससी के लिटरेसी रेट में कितना परिवर्तन आ रहा है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1961 में एससी का लिटरेसी रेट टोटल 52 प्रतिशत ऑल इंडिया एवरेज था तो एससी और ट्राईबल लिटरेसी रेट 37.4 प्रतिशत 1991 में था। 29.6 प्रतिशत से 37.4 होना बढ़ोतरी की झलक दे रहा है। ट्राईबल लिटरेसी रेट लगभग तीन गुना है। ऑल इंडिया लैवल पर लिटरेसी रेट में ही दो गुना की बढ़ोतरी हो रही है तो ट्राईबल और एससी में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि ट्राईबल और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में पढ़ाई में ज्यादा रुचि हो रही है। फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में केन्द्र का ही पूरा दायित्व है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि ट्राईबल सब प्लान एप्रोच पांचवे प्लान से शुरू हुई। ट्राईबल या एससी या पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी प्रतिशत खर्च कर दीजिए, ऐसा ही एक डाइरेक्टिव था।

उसमें देखा गया कि एक प्रतिशत से भी कम पैसा खर्च हो रहा था। इसलिए जब पांचवे प्लान के बाद टीएसपी एप्रोच हुआ, यह टीएसपी एप्रोच क्या है, यह भी मैं सदन में बताना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की हर मिनिस्ट्री में, हमारे ट्राइबल की 19 मिनिस्ट्रीज़ हैं- एस.सी. के लिए 13 मिनिस्ट्रीज़ हैं। टीएसपी एप्रोच के लिए एक कमेटी है।

यह बीच-बीच में रिव्यू करती है कि एस.सी. और एस.टी. पापुलेशन का जो पैसा है वह उस वर्ग के लिए खर्च हो रहा है या नहीं। उसे वे स्वयं रिव्यू करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग जो पैसा देते हैं उस पैसे की भी बीच-बीच में समीक्षा होती है। जब हमारे मंत्री जाते हैं तो उनके साथ सैक्रेट्री भी जाते हैं। एक एस.सी./ एस.टी. कमीशन है, जिसके चेयरमैन भूरिया जी हैं। सब देखते हैं कि इस पैसे का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। प्लानिंग कमीशन वाले भी बीच-बीच में रिव्यू करते हैं। मिडटर्म एप्रेज़ल होता है कि ये पैसा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इस पैसे का ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं। इसमें कुछ परिवर्तन करना है या नहीं, ये सब चीजें देखते हैं।

महोदय. सरोजा जी ने प्रश्न उठाया है कि तमिलनाडु को 84 लाख रुपए ट्राइबल मिनिस्ट्री से क्यों दिए गए। मैडम की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में ट्राइबल का पापुलेशन एक प्रतिशत है। हम जो आंध्र प्रदेश का बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इतना क्यों दिया गया, यह पापुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए इसमें कम करना या ज्यादा करना किसी के हाथ में नहीं है। यह हर साल रेगुलरली दिया जाता है। दूसरी बात आप यह कह रही थीं कि फंड्स का खर्च ठीक से नहीं हो रहा है या ज्यादा नहीं हो रहा है। इसमें दो पहलू हैं, अगर हम ज्यादा फंड्स दे दें और यूटिलाइजेशन न मांगें तो भी आप कह सकते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग बीच-बीच में तीन फेज़ में रिलीज़ करते हैं। पहले फर्स्ट फेज़ में करते हैं, फिर हम इंसिस्ट करते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट हो। उस काम की प्रोग्रेस क्या है, उसकी हम रिपोर्ट मांगते हैं। उसके बाद हम आगे दूसरा इंस्टालमेंट रिलीज़ करते हैं।â€¦(<u>व्यवधान)</u>

सभापति महोदय : इस संकल्प पर दो घंटे का समय निर्धारित था और दो घंटे पूरे हो रहे हैं। अभी मंत्री जी अपना उत्तर समाप्त करेंगे, उसके बाद सरोजा जी बोलेंगी तो इस पर 15 मिनट का समय और चाहिए। इसलिए अगर सदन की अनुमति हो तो इस पर 15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाए।

सभी माननीय सदस्य : ठीक है, आप समय बढ़ा दीजिए।

श्री जुएल उराम : महोदय, सरोजा जी ने कहा है कि नेशनल एस.सी.,एस.टी. फाइनेंस कार्पोरेशन एस.सी., एस.टी. के लिए अलग हो गए हैं। उससे कोई लाभ नहीं मिला है, हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। 1997-98 में हमने 9,978 एस.सी. पापुलेशन को फाइनेंशियल सहायता दी है। इससे हम क्या फाइनेंस करते हैं, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं- छोटे आइटम से लेकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरु किए हैं, जिनसे गांवों के लोगों को इंकम हो सकती है। हम कमांडर जीप, कार आदि देते हैं। एस.टी. का पापुलेशन 3383 है। 1998-99 में कितनी बढ़ोत्तरी हुई- 13388 एस.सी. का है और ट्राइबल के लिए 3432 है।

सन् 1999-2000 में 14130 एस.सी. हैं और एस.टी. के लिए 4702 हैं। सर, ऐसा हम देते हैं। अभी नयी कॉरपोरेशन बनी है। अगर सर्कार की मंशा साफ नहीं होती तो हम एक नया कॉरपोरेशन, नयी मिनिस्टरी नहीं बनाते। एस.सी और एस.टी की समस्याएं अलग हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा। वे आर्थिक हो सकती हैं। लेकिन ट्राइबल्स का रहन-सहन और समस्याएं अलग हैं। अगर अलग से इन पर ध्यान दिया गया होता तो माननीय राधाकृणन जी जो बोल रहे थे वह एक्सटेंशन बार-बार देना नहीं पड़ता। यह बात इस सरकार के आने के बाद क्लीयर है, कैबीनेट वगैरह में क्लीयर है।

सर, कुछ आक्षेप लगाए गये हैं कि हमारी पार्टी आदिवासी लोगों को महत्व नहीं देती है। आप भी और माननीय जगजीत सिंह जी भी बता चुके हैं कि हमारे नेशनल प्र ोसीडेंट एस.सी. हैं। मैं उड़ीसा स्टेट से भारतीय जनता पार्टी से हूं। माननीय बाबू लाल मरांडी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। माननीय गोपी नाथ मुंडे जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारी पार्टी या सरकार में कोई भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता है, वह तो कैपेबिलिटी क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और वह पिछड़े वर्ग से है, उसके हिसाब से दिया जाता है। आज की कैबिनेट में एस.सी.एस.टी. के जितने सदस्य हैं वह एक हिस्ट्री बन गयी है। चार कैबिनेट मिनिस्टर एस.सी.एस.टी समुदाय से हैं और बाकी पांच स्टेट मिनिस्टर हैं। इस तरह से इस समुदाय के 9 मिनिस्टर हैं और जो आज तक का एक रिकार्ड है।

सर, यह बात कहना कि बहुत सारा पैसा डायवर्ट होने जा रहा है और कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी आई है। इसके कारण हैं। मैंने मिनिस्टरी का चार्ज लेने के बाद, माननीया मेनका जी के साथ प्रयास किया और उस प्रयास के कारण एस.सी.एस.टी समुदाय के मंत्रियों की तीन दिन की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रियों ने अपने-अपने सुझाव दिये। उसके बाद सभी स्टेट के सैक्रेट्रीज को बुलाकर हमने बात की है। उनके साथ दो बार, दो-दो दिन की मीटिंगे ली गयीं। उसके बाद मिनिस्टरों को बुलाया गया। मैंने प्रत्येक एम.पी. को पत्र लिखा था कि आपके प्रदेश के मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है और एस.सी.एस.टी के बारे में कुछ प्रोग्राम फाइनलाइज होगा। आप समय पर आकर अपने-अपने सजैशन्स दें। उनका कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से मंत्री और सैक्रेट्रीज आ रहे हैं तो आप भी आइये। उसके बाद 23 प्र ादेशों में से 18 प्रदेशों ने उत्तर दिया। माननीय सांसद भी आये थे और उन्होंने सुझाव दिये थे। मैंने इस बारे में उनको पत्र भी लिखा है।

एक पाइंट माननीय पासवान जी बोले कि जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है उसकी एक बुकलैट हो। मैं अपनी मिनिस्टरी से प्रिंटेड करके बुकलैट पहले ही सर्कूलेट कर चुका हूं। फिर भी यदि आवश्यक हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हर स्कीम का ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। लड़कों और लड़कियों के होस्टल के लिए, आश्रम के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। खाली इतना ही नहीं है उसमें और भी बहुत है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कैसे इस खर्च में योगदान हो, उसके लिए भी व्य वस्था है। हर प्रदेश में ट्राइबल्स एडवाइजरी कौंसिल हो। जहां ट्राइबल्स एडवाइजरी कौंसिल है वहां एस.सी.एस.टी दोनों कैटेगिरी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जिसके चैयरमेन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं।

साल में दो बार उनका बैठना अनिवार्य है। वे दो बार बैठते हैं। एम.पी. और एम.एल.ए.उसके मैम्बर हैं। जो भी सुझाव होते हैं वे उसमें डिसकस होते हैं। फंड्स का यूटिलाइजेशन हो और पालिसी का इम्पलीमैंटेशन हो इन सब के बारे में वहां चर्चा होती है। इनके बारे में मिनिस्ट्री व्यूज लेती है। जो सिफारिशें और सुझाव होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसके साथ-साथ शेडयूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की खास तौर पर जिम्मेदारी गवर्नर की है। इस बारे में राट्रपति जी को गवर्नर हर साल खास तौर पर रिपोर्ट देता है। वह भी मिनिस्ट्री के पास आता है। इसके बारे में मिनिस्ट्री के क्या व्यूज हैं, उनका गम्भीरता से जायजा किया जाता है। इसके बाद हम आगे का काम करते हैं।

पासवान जी ने कहा कि एलीमैंट्री एजुकेशन को जोरदार तरीके से इम्पलीमैंट किया जाए। आज के समय में स्कूल होना आवश्यक है। स्कूल की बिल्डिंग बनाना, सरकारी तौर पर उन्हें नौकरी में लगाना आवश्यक है। यदि ऐसा प्रावधान किया जाए तो हमारे पास धन पर्याप्त नहीं होगा। उन तक सरल तरीके से एजुकेशन पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। मेरे पास ये सब चीजें डिटेल में हैं लेकिन इसकी चर्चा हो चुकी है।

एक प्वाइंट मीणा जी ने एलीमैंट्री एजुकेशन का उठाया। उन्होंने कहा कि कक्षा एक में आने के बाद उन्हें आगे नहीं पढ़ाया जाता है। इसके लिए कस्तुरबा गांधी स्वतंत्र विद्या मिशन का आगे काम चल रहा है। यह हमारे कंसिडरेशन में है। एक बार उन्हें पढ़ाने के बाद आगे उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचा जाएगा। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल क्लीयर है। पहले की सरकारें केवल भााण देती थीं। यह सही बात है कि उनके पास केवल स्लोगन थे। वे केवल आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भााण देते थे और उनके वोट लेने के बाद उन्हें भूल जाते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। एस.सी.और एस.टी. के लोग इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लोग हैं। हम उन्हें पैट्रोल पंप बना कर देते हैं। उन्हें हैंड्रेड परसैंट सामान खरीद कर और मशीन टैस्ट करके दी जाती है। उन्हें बैंक से फाइनेन्स करके पैसा दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फाइनान्स करना है,, इन सब का इन्तजाम किया जाता है। यह कहना ठीक नहीं है कि फंड्स ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। हम सत्ता में आने के बाद बार-बार इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं।

आई.टी.डी.ए. का माडा है, माइक्रो प्रोजैक्ट है। यहां कहा गया कि पी.टी.जी. के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। ऐसी बात नहीं है। 75 परसैंट अभी भी प्रीएग्रीकल्चर स्टेज

में है। जिन्हें वस्त्र पहनना नहीं आता, बाकी दुनिया के लोगों से बात करना नहीं आता, इनके बारे में हमने विशेा तौर पर सोचा है। इनके लिए अलग प्रावधान किया है। पी.टी,जी. के लिए माइक्रो प्रोजैक्ट है। उनके लिए ऑफिसर और एन.जी.ओज. हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है। इस बारे में कितनी प्रगति हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। फंड्स का भी पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है। 1997-98 में स्पैशल सैंट्रल असिस्टैंट के लिए 3 करोड़ रुपए का एलाटमैंट किया गया था। हमने 329.6 करोड़ रुपए का खर्चा किया। आप इससे सोच सकते हैं इसमें कितनी प्रगति हुई। 1998-99 में 380 करोड़ रुपए का एलोकेशन था। हमने 380 करोड़ रुपए डिसबर्समैंट किए। 1999-2000 में 400 करोड़ रुपए का एलोकेशन था और 400 करोड़ रुपए दिए। हर स्कीमवाइज प्रॉग्रेस हुई है लेकिन ये सब बताने का अभी समय नहीं है। स्पैशल कम्पोनैंट प्लान को देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऐंड एम्पावरमैंट कर रहा है।

उसका 100 परसेंट है। हमारी जो स्कीम्स हैं, उसके तहत कालेज में पढ़ने वाले 22 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप दिया जाता है और इसको कैसे ज्यादा बढ़ाया जाये, यह मामला विचाराधीन है। यह कहना कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक नहीं है। यहां पर रिजर्वेशन इंपलीमेंटेशन की बात उठायी गई है सभापति जी, आप जानते हैं कि हम स्पेशल ड्राइव चलाने के लिये डायरैक्टिव देते हैं और रिक्रूटमेंट में जितना बैकलॉग है, उसको बीच-बीच में रिव्यु किया जाता है। सरकार यह सोचती है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाये, इसकी कोशिश करते हैं। जहां तक लेट डिस्ट्रीब्यूशन आफ स्टाइपंड की बात है, उसके लिये हम एडवांस में पैसा देते हैं, पैसा रेमिट करते हैं लेकिन प्रोसैस करने में देर लग जाती है और कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। चूंकि यह बात यहां उठायी गई है, मैं इस बारे में सदन को अवगत करा रहा हूं।

सभापति जी, यहां पर संविधान समीक्षा, चुनाव सुधार की बात उठायी गई है। मैं ट्राइब्ल कम्युनिटी से आता हूं। यदि आप देखें तो मालूम होगा कि जब तक एस.सी.एस.टी. परिचित नहीं होता है, चाहे वह नौकरी कर रहा हो या कालेज में पढ़ रहा हो, उसके टेलेंट का मान-सम्मान किया जाता है लेकिन जब यह बताया जाता है कि एस.सी एस.टी. से है, लोग तुरंत कहते हैं कि रिजर्वेशन से आया होगा। यह लोगों की मानसिकता है, यह वातावरण बना हुआ है जिसमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। यह कहना कि संविधान की समीक्षा की जा रही है, चुनाव सुधार कर रहे हैं, इसलिये वीकर सैक्शन निगेटिव में जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं रिकार्ड पर बताना चाहता हूं कि बी.जे.पी. एक ऐसी पार्टी है जिसने ट्राइबल बैल्ट से लोकसभा में हमें चुनकर भेजा है, इसलिये हमारी मंशा साफ है कि खाली रिजर्वेशन देने की बात नहीं, यहां भेजा भी है। रिजर्वेशन के साथ साथ प्रापर इंप्लीमेंटेशन हो, हर कोई इस बात को समझे कि सोशल रिक्वायरमेंट है कि किसी की गलती से ये लोग पीछे हो गये हैं। सामाजिक, आर्थिक रूप से इनको आगे लाना है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठीक नहीं होगा। मैं आपको बी.पी.एल. के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, the extended time is going to be over now. I have to seek the permission to extend the time of the House for another five to ten minutes.

Can the time of the Resolution be extended till the completion of the reply by the Mover?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री जुएल उरामः सभापति जी, बी.पी.एल. डाउन हो रहा है। इसके साथ ही यदि देखा जाये तो ओलम्पिक में पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला भी ट्राइब्ल ही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुद्दे यहां उठाये गये हैं, उसका मैंने क्लीयर जवाब दिया है। चूकि समय कम है, इसलिये मैं मैडम वी. सरोजा देवी से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की मंशा को देखते हुये अपना संकल्प वापस लें।

DR. V. SAROJA : Mr. Chairman, Sir, I thank all the Members who have come out with good suggestions for the overall upliftment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri Anadi Sahu spoke about Scheduled Caste Forest Produce Monitoring System. I would like to point out that Forest Conservation Act of 1984 is not being implemented properly. The forest produce is not being utilised properly for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are being harassed by the forest officials; and they are being harassed by the revenue officials. I request that the land reforms should be carried out properly and marketing societies must be located in the areas concerned.

Special schemes may be brought in so that the economic empowerment as also the empowerment of the self-help groups is assured. As far as self-help groups are concerned, they should be concentrated more in the tribal areas. As I said earlier, 2001 is the Year of Empowerment of Women. The level of empowerment of women depends upon the level of self-help groups in the tribal areas. I may also say that the self-help groups headed by the Scheduled Castes are the gadgets by which one can assess the economic empowerment of either the women or the self-help groups.

I had participated in the Consultative Committee meeting attached to this Ministry. I requested the hon. Finance Minister to enhance the Budget allocation for this. He had assured that it was proposed to be increased from Rs.500 crore to Rs.5,000 crore. If it is so, the hon. Ministers of Tribal Welfare as well as Social Justice and Empowerment should allocate reasonable amount of money to not only take care of this oppressed class but also help in the empowerment of women. I urge upon the Government to come back after one year and inform us up to what level the empowerment of women has been achieved. It is the duty and the right of the Government.

The Committee on Empowerment of Women has also proposed some suggestions. Will the Minister take care of these suggestions in real sense? The Minister should adopt a practical approach towards the upliftment and empowerment of women.

Shri Ramji Lal Suman has pointed out about the basic issues to be discussed. I agree with him. All the concerned MPs can sit together and discuss it. We cannot individualise the problems faced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes because they are not common people. Their problems vary from constituency to constituency as also from one assembly section to another. So, their problems must be discussed with the local authorities. The local MPs must be given an authority to at least question the local MLAs and local officials like the BDOs or the Empowerment Committee at the Panchayat level. They are reluctant to discuss it with us. They are reluctant to

even help in selecting the self-help groups. In Tamil Nadu there are about 60,000 self-help groups.

Sir, I am the only lady MP who is elected from the State of Tamil Nadu for the second time. I was kept in the dark. Who are all those people in the Self-help Groups? They are enjoying all the benefits. I was kept in the dark. I should be given a place. The Members of Parliament must be given a role. They should be vested with the powers so that they can question people. After all we are committed to the people. We are elected by the people and we are for the people.

I would like to request the Minister to pass an order so that all the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Members of Parliament could be given a role in these bodies. They should be given a responsibility and accountability to finalise the scheme for their respective States. They should also be given representation on the Self-help Groups.

Sir, Shri J.S. Brar has given very good suggestions. When Purachithalavi Dr. J. Jayalalitha was the Chief Minister, she called all the freedom fighters and ex-servicemen to have discussion with them. She formulated a scheme for these people and she had doubled the pension for the freedom fighters. She had also issued orders to start educational institutions so that the children of the freedom fighters and ex-servicemen could be taken care of.

Sir, my sister Ms. Meena has given very good suggestion. I associate myself with her that a separate Ministry should be there. The Ministry of Social Justice and Empowerment has not done anything for these communities. It has not formulated anything. The Minister has no accountability and responsibility. Through this Resolution, which is for the one-third population of this country, I urge upon the Government to have a separate Ministry for the Scheduled Tribes.

MR. CHAIRMAN: As the Minister has requested, are you withdrawing your Resolution?

DR. V. SAROJA : Sir, though the compulsory education is the Fundamental Right, till now, we have not reached the expected level. As far as social, educational, and economic upliftment of these people is concerned, it is not up to the expected level. The year of reservation is not going to matter much. Over the last 50 years, we have extended the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes five times. In spite of that, we have not been able to achieve the expected level of improvement.

Sir, I agree with the objection raised by my honoured friend, Shri Radhakrishnan. The Members of Parliament from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities will have to fight unitedly for their cause. But at the same time, they have to have the commitment for the upliftment of this society. He has also told that there is no political will.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have to put the Resolution to the House.

DR. V. SAROJA : Sir, I do agree with the hon. Minister that there are many schemes. But they are only on paper. I would like to know how many of these schemes have trickled down to the grass-root level. You have to conduct a scheme-wise survey in each State. Sir, I expect the Minister to come back to this House with the White Paper on the achievement of this book.

Sir, it is stated that the percentage of BPL is coming down. But I would like to know to what extent it is coming down. What is the gadget by which you are drawing this line of BPL? You have not defined the line of BPL. So, I am very sorry to say that I cannot accept your view that it is coming down.

Sir, with this, I congratulate all those Members who have come out with the positive solutions. I also request the hon. Minister to look into the useful and permanent solutions that we have suggested. Sir, may I request the hon. Minister to convey all our feelings to the hon. Prime Minister? Sir, under the Chairmanship of the hon. Prime Minister a separate Ministry for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be set up and all these schemes should be routed through the PMO.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Resolution?

DR. V. SAROJA: Sir, if the hon. Minister promises that he will address all the issue and that he would discuss them with the hon. Prime Minister, I have no objection in withdrawing my Resolution.

SHRI JUAL ORAM: Sir, I will certainly look into all these suggestions, and I would definitely convey the feelings of the hon. Members to the hon. Prime Minister...(*Interruptions*)

<u>19.00 hrs.</u>

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat. This is not the proper procedure.

Has the hon. Member leave of the House to withdraw her Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.